संख्या-186/2018/3024/22-2-2017-17(763)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 26 फरवरी, 2018**

विषयः- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रजनीश कुमार दुबे पुत्र श्री राम किशोर दुबे,निवासी जनपद-अम्बेड़करनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-41325/प्रोबेशन-3/फार्म-ए/(एम 02.05.2017) दिनांक 16.11.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रजनीश कुमार दुबे पुत्र श्री राम किशोर दुबे, जो ग्राम-टेगरहिया, थाना-अकबरपुर, जनपद-अम्बेड़करनगर का निवासी है। बन्दी का विवाह सुमन के साथ हुआ था। वह दूसरा विवाह करना चाहता था।सहअभियुक्त नन्हका देवी, हरीश व राम किशोर दहेज के लिए सुमन (मृतक) को प्रताडित़ करते थे।इसी कारण दिनांक 11-11-1991 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पत्नी सुमन देवी की मिट्टी का तेल डालकर जला कर हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-379/1992 में भा0द0वि0 की धारा-302,498ए के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश-अम्बेड़करनगर के आदेश दिनांक 05.12.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.04.2015 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.02.2017 तक 18 वर्ष 01 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 11 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने यह अंकित किया है कि बन्दी का विवाह मृतक सुमन के साथ हुआ था। दहेज व दूसरा विवाह करने की नियत से दिनांक 11-11-1991 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पत्नी सुमन की मिट्टी का तेल डालकर जला कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रजनीश कुमार दुबे पुत्र श्री राम किशोर दुबे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रजनीश कुमार दुबे (बन्दी संख्या-15006) पुत्र श्री राम किशोर दुबे,निवासी जनपद-अम्बेड़करनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-186/2018/3024(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-अम्बेडकरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-186/2018/3024@22-2-2017-17(763)/2017

दिनांक 26 फरवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रजनीश कुमार दुबे पुत्र श्री राम किशोर दुबे, जो ग्राम-टेगरहिया, थाना-अकबरपुर, जनपद-अम्बेड़करनगर का निवासी है। बन्दी का विवाह सुमन के साथ हुआ था। वह दूसरा विवाह करना चाहता था।सहअभियुक्त नन्हका देवी, हरीश व राम किशोर दहेज के लिए सुमन (मृतक) को प्रताडित़ करते थे।इसी कारण दिनांक 11-11-1991 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पत्नी सुमन देवी की मिट्टी का तेल डालकर जला कर हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-379/1992 में भा0द0वि0 की धारा-302,498ए के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश-अम्बेड़करनगर के आदेश दिनांक 05.12.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.04.2015 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.02.2017 तक 18 वर्ष 01 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 11 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने यह अंकित किया है कि बन्दी का विवाह मृतक सुमन के साथ हुआ था। दहेज व दूसरा विवाह करने की नियत से दिनांक 11-11-1991 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पत्नी सुमन की मिट्टी का तेल डालकर जला कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवारिक सामाजिक व आ्रिथक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रजनीश कुमार दुबे पुत्र श्री राम किशोर दुबे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in